न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–46/2018–19

रेखा जायसवाल...अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
24.08.18	अपीलार्थी रेखा जायसवाल, पति-कैलाश नाथ जायसवाल, सा०–बाजार टाँड़, पोस्ट–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–306 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–02/06/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	42	2671/6018	10 डीसमील

अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि मैंने श्री विनय कुमार गुप्ता, पिता–स्व० गोपाल दास गुप्ता, ग्राम–बुण्डू, पोस्ट–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची से निबंधन पट्टा सं०–18756/17005 द्वारा दिनांक–29/10/2018 को क्रय किया है। जिसका दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में आवेदन दिया जिसे खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–306 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–02/06/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि के विक्रेता पंजी।। रैयत स्वंय है। इन्होंने अपने दखल एवं हिस्से की भूमि को पावरधारी विनय कुमार गुप्ता, पिता–स्वर्गीय गोपाल दास दास, ग्राम–बुण्डू, के माध्यम से बेचा है। आवेदित भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वासगीत, सुरक्षित वन एवं गैरमजरूआ भूमि से बाहर है। भूमि पर क्रेता का दखल है। आवेदित भूमि का पॉवर कलकत्ता डीड द्वारा संपन्न है। साथ ही उक्त पॉवर डीड की मूल प्रति आवेदक द्वारा सुनवाई की तिथि को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से उक्त पॉवर डीड की मूल प्रति प्राप्त कर एवं उन्हें सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम से करने हेतु नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह० 24/08/18
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

ह० 24/08/18
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।